

तारीख हुक्म

डेमन्ड वरिपरमा
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र.सं - 48/2015 धारा-212 RTI

नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की त
में जारी

25-8-19

पत्रावली के माह 2019 में प्रेषण वादेल
उपस्थित है पत्रावली में प्रतिवादी वकिल का
जवाब अवगत समाप्त किया जाता है
दोनों पक्षों की बहस खत्म हुई
विवाद कस्त शक्ति सहस्वादेशी है। इसका
प्रत्येक वाद अलग-अलग धारा 53, 188 RTI
के तहत न्यायालय में विचारार्थ है।
प्राथमिक पर अवलोकन करके दोनों
दोनों पक्षों की बहस पर मतलब कर
पर आदेश किया जाता है कि अज्ञात
मूल वाद के निस्तारण तक ~~किसी~~
विवाद गस्त शक्ति में किसी प्रकार का
कब्जा नहीं करे नही किसी अन्य
संसाधन। वाद गस्त शक्ति कि रिपार्ती
पत्रावली वातावरण अज्ञात का मूल
वाद के निस्तारण तक जारी अज्ञात
विषयों के पारबन्ध किया जाता है।
पत्रावली के मूल इन्फार्मेशन गस्त
संसाधन होवे तथा मूल वाद पर के साथ
गलती है।

अपमण्ड अधिकारी
बखवाडा जि उदयपुर